106

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 2-5-16

न्यायालय उपजिलाधिकारी देवरिया

एस0डी0मेमों0स्नातक महा0 वाद सं0–टी201605200110016 धारा–143 उ0 प्र0 जमीं0 वि0 अधि0
बनाम सा0–नौतन तप्पा–कचुआर परगना–स0म0
उ0 प्र0 सरकार तहसील व जिला–देवरिया।

आदेश

उ0 प्र0 जमीं0 विनाश अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वाद योजित कर कहा गया है कि प्रार्थी जगन्नाथ शाही एस0 डी0 मेमोरियल महाविद्यालय की बिल्डिंग बनकर विद्यालय चल रहा है। उक्त भूमि पर खेती या मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन नहीं होता है। अंत में उक्त भूमि संख्या 125मि0 रकबा 1.012 हे0 जो एस0 डी0 मेमोरियल महाविद्यालय के नाम से है, को अकृषिक घोषित कर मालगुजारी माफ करने की कृपा की जाय।

वाद पत्र के आधार पर तहसीलदार देवरिया की आख्या प्राप्त हुई थी। पुनः जांच कर नायब तहसीलदार देवरिया से रिपोर्ट प्राप्त की गयी । नायब तहसीलदार देवरिया की आख्या दिनांक 21.02.2016 प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। तहसील आख्या में उल्लेख किया गया है कि आ0 सं0 125मि0 / 1.012 हे0 कम्प्यूटर खतौनी में एस0 डी0 मेमोरियल महाविद्यालय प्रबंधक जगरनाथ शाही के नाम से अंकित है जिसमें उत्तर तरफ से दो मंजिला पक्की मकान, साईकिल स्टैण्ड के लिए टिन शेड, लैट्रिन, बाथरूम, गार्ड रूम आदि कुल मिलाकर रकब 0.315 हे0 पर बना हुआ है। शेष भूमि पर बच्चों को खेलने के लिए बालीबाल, किकेट आदि का प्रांगण के रूप में है तथा चारों तरफ से छः फीट बाउण्ड्रीवाल है। गाटा संख्या 125 / 1.012 हे0 में से रकबा 0.315 हे0 भूमि को अकृषिक घोषित करने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित है।

मैंने तहसील आख्या तथा पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का भली भांति अवलोकन किया। वाद पत्र के समर्थन में आवेदक द्वारा इन्तखाप खतौनी 1422 से 1427 फ0, दस्तावेज बैनामे की छायाप्रतिलिपि प्रस्तुत किया गया है। तहसील आख्या व पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत भूमि के रकबा 0.315 हे0 पर निर्माण है, शेष क्षेत्रफल का आवासीय अथवा व्यवसायिक उपयोग में होना प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार आवेदक द्वारा गाटा संख्या 125मि0 रकबा 0.315 हे0 पर मकान का निर्माण किया गया है जो विद्यालय के उपयोग में है, उसका प्रयोग कृषि, बागवानी, पशुपालन (जिसमें मत्स्य पालन तथा कुक्कुट पालन भी शामिल है) से इतर प्रयोग किया जाना प्रमाणित है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर गाटा संख्या 125मि0 रकबा 0.315 हे0 को उ0 प्र0 जमीं0 वि0 अधिनियम की धारा 143 के तहत अकृषिक प्रख्यापित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

अतः मौजा नौतन तप्पा कचुआर परगना सलेमपुर मझौली तहसील व जिला देवरिया की खतौनी 1422 से 1427 के खाता सं0 00034 के गाटा सं0 125 मि0 रकबा 0.315 हे0 का कृषि, बागवानी, पशुपालन (जिसमें मत्स्य पालन तथा कुक्कुट पालन भी शामिल है) से इतर आवासीय / विद्यालय के रूप में प्रयोग में होने के कारण उ0 प्र0 जमीं0 विनाश अधिनियम की धारा 143 के तहत अकृषिक प्राख्यापित किया जाता है। भूमि आबादी की श्रेणी में अंकित की जाय। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की प्रमाणित प्रति उपनिबंधक, देवरिया को भेजी जाय। वाद अनुपालन पत्रावली दाखिल द0 हो।

दिनांक: 02.05.16

(अजय कुमार)
उप जिलाधिकारी
देवरिया।

1049
6-5-16
250
7-5-16
07/05/2016

Principal
J.N. Shahi College of Pharmacy
Nautan, Bariyarpur, Deoria